

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 756 सन 2020

अनवान :-

1. रतनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
2. सत्यनारायण पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
3. उमी पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
4. रामी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
5. विमला पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
6. भंवरीदेवी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 107/104 की कुल 33.5380 हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 831/761 की कुल 7.4250 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक हीराराम के नाम से दर्ज है।


वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हीराराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है हीराराम वल्द गोपाल का देहान्त हो चुका है हीराराम वल्द गोपाल के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो हीराराम पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि जो हीराराम पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की माता/बहने है एवं मृतक हीराराम की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता हीराराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्थात् वाद भूमि विरास्तन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 107/104 की कुल 33.5380हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 831/761 की कुल 7.4250हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक हीराराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हीराराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है हीराराम वल्द गोपाल का देहान्त हो चुका है हीराराम वल्द गोपाल के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो हीराराम पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात् वाद भूमि जो हीराराम पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की माता/बहने है एवं मृतक हीराराम की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 107/104 की कुल 33.5380हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 831/761 की कुल 7.4250हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक हीराराम के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि हीराराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता हीराराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज है हीराराम वल्द गोपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसा प्रमाण पत्र से सावित है अर्थात् हीराराम वल्द गोपाल के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के हकदार

है।
उपजुष्ट अधिवक्ता
गोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 107/104 की कुल 33.5380 हैव भूमि मृतक हिराराम के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 831/761 की कुल 7.4250 हैव मे मृतक हीराराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है दोनो खातो में हीराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनो बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
वाहर

नृत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रतनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गोहरसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
2. सत्यनारायण पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
3. उमी पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
4. रागी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
6. भंवेशीदेवी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 756 सन 2020 निर्णय दिनांक- 31/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 107/104 की कुल 33.5380 हैक्ठु भूमि मृतक हिराराम के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 831/761 की कुल 7.4250 हैक्ठु मे मृतक हीराराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है दोनो खातों में हीराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर